अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बेगूं

ॐकार पिता खाना मेहर निवासी ऑवलहेडा बनाम किशोर पिता धन्ना जी मेघवाल निवासी ऑवलहेडा व अन्य

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र अ.धा. 128 एल.आर.एक्ट

मु0नं0 77/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22/6/21 -	पत्रावली आज आज पेश की गई,पत्रावली में तहसीलदार, बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक/भू.अ./2021/992 दिनांक 17.06.2021 के साथ रिपोर्ट भू.अ.नि. वृत काटून्दा व नकल जमाबंदी की छायाप्रति संलग्न कर पत्थरगढी के सम्बनध में पालना प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट भू.अ. नि.वृत काटून्दा के अनुसार जमाबंदी का अवलोकन करने से जाहिर आया कि उक्त खातेदार ने अपनी आवेदित भूमि विक्रय कर दी है। वर्तमान में आराजी नं. 84 रकबा 0.51 हैक्टर मे से नवीन आराजी नं. 84मी रकबा 0.338 हैक्टर, आराजी नम्बर 85 रकबा 0.53 हैक्टर मे से नवीन नम्बर 85मीन रकबा 0.238 हैक्टर एवं 86 रकबा 0.58 हैक्टर मे से 86मीन रकबा 0.224 हैक्टर कुल किता–3 रकबा 0.80 हैक्टर भूमि वीरभूमि एज्यकेशन सोसायटी चितौडगढ के नाम दर्ज है शेष आराजी नम्बर 85 मे नवीन नम्बर 1323/85 रकबा 0.13 हैक्टर मांगीबाई पति मांगीलाल मेहर सा.शादी के नाम दर्ज है। आराजी नं. 1325/85 रकबा 0.162 हैक्टर एवं 1326/86 रकबा 0.102 हैक्टर पन्नालाल पिता कालू मेघवाल साकिन परख्याखेडी के नाम दर्ज है। आराजीनं. 86 मे 1324/86 रकबा 0.134 हैक्टर मांगीबाई पति मांगीलाल मेहर के नाम दर्ज है। आराजी संख्या 86 मे से 1328/86 रकबा 0.06 हैक्टर एवं 1329/1324 रकबा 0.06 हैक्टर समर्पण से किस्म रास्ता दर्ज हो गई है। अतः स्वयं आवेदक खातेदार द्वारा आवेदन पश्चात भूमि विक्रय करने से पत्थरगढी किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है। इस प्रकार पत्रावली में रिपोर्ट भू.अ.नि.वृत काटून्दा एवं नकल जमाबंदी के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक द्वारा भूमि का विक्रय दौरान पत्थरगढी की कार्यवाही कर दिया जाने से पत्थरगढी किया जाना उचित नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र भूमि विक्रय होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें। [illegible]/6/2021 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:43:34 IST
Reason: SelfAttested